न्यायालय–प्रथम सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण आष्टा, जिला–सीहोर (म.प्र.)
(::–सदस्य–सरिता वाधवानी–::)

Registration No-MACC/01/2018
Filing No-MACC/7/2018
CNR-MP37070000102018
Filing Date-02/11/2018

शैतान बाई पत्नि स्वर्गीय तुलसीराम
आयु–55 वर्ष, जाति–चमार,
निवासी–इंदिरा कालोनी आष्टा
तहसील–आष्टा, जिला सीहोर (म.प्र.)

––––––––आवेदक

:: **विरूद्ध** ::

जितेन्द्र यादव आत्मज नानूराम सरपंच,
आयु–37 वर्ष, धंधा–कृषि,
निवासी–ग्राम हुसैनपुर, तहसील–आष्टा,
पोस्ट–लोरासखुर्द, जिला–सीहोर (म.प्र.)
(वाहन चालक व मालिक दुर्घटना कारित वाहन क. एमपी–37–ए–8408)

––––––––अनावेदकगण

यह प्रतिलिपि सामान्य जानकारी हेतु उपलब्ध है, इसका विधिक/न्यायिक उपयोग अनुज्ञेय नहीं है।

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 166 मोटर व्हीकल एक्ट वास्ते क्षतिपूर्ति।

आवेदिका द्वारा श्री मशकूर अली अधिवक्ता।
अनावेदक द्वारा श्री दिनेश भूतिया अधिवक्ता।

:: अधि–निर्णय ::

(आज दिनांक 10 अप्रैल 2019 को पारित किया)

01– यह आवेदन दिनांक 27/09/2017 को दिन के लगभग 3:30 बजे अनावेदक कमांक 1 के खेत हुसैनपुर खेड़ी आष्टा में वाहन ट्रेक्टर कमांक एमपी–37–ए–8408 से हुई दुर्घटना में आवेदिका को आई चोट के संबंध में क्षतिपूर्ति दिलाये जाने हेतु मोटरयान अधिनियम की धारा–166 के अंतर्गत प्रस्तुत किया है।

02– प्रकरण में यह तथ्य अविवादित है कि वाहन ट्रेक्टर कमांक एमपी–37–ए–8408 का पंजीकृत स्वामी अनावेदक कमांक 1 है तथा उक्त दुर्घटना के

संबंध में ट्रेक्टर क्रमांक एमपी–37–ए–8408 के चालक अनावेदक के विरूद्ध थाना आष्टा में अपराध क्रमांक–867/2017 अंतर्गत धारा 279, 337 भा.दं.वि कायम किया गया है।

03– आवेदन पत्र के तथ्य संक्षेप में यह हैं कि दुर्घटना दिनांक 27/09/17 को समय लगभग 3:30 बजे आवेदिका, अनावेदक के पिता नानूराम सरपंच निवासी ग्राम हुसैनपुर खेड़ी के यहॉ सोयाबीन काटने गई थी तभी सोयाबीन काटते समय नानूराम का लड़का (अनावेदक) जितेन्द्र यादव आयशर ट्रेक्टर क्रमांक एमपी–37–ए–8408 को तेजी व लापरवाही एवं उपेक्षापूर्ण ढंग से चलाते हुए खेत में लाया और आवेदिका को जोरदार टक्कर मार दी जिससे आवेदिका वही पर गिर गई और उसे उल्टे हाथ की कलाई में गंभीर फ्रेक्चर हो गया तथा शरीर में अन्य कई जगह चोटें कारित हुई। आवेदिका को घटनास्थल से घायल अवस्था में उसकी पुत्री शिप्राबाई शासकीय अस्पताल आष्टा में इलाज कराने के लिए ले गई, जहॉ पर आवेदिका को भर्ती कर उसका उपचार किया। आवेदिका दिनांक 28/09/17 से 09/10/17 तक भर्ती रही तथा दिनांक 09/10/17 को ही आवेदिका का एक्सरे किया गया, जिसमें उसके उल्टे हाथ की कलाई पर फ्रेक्चर होना पाया गया। उक्त दुर्घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना आष्टा में अपराध क्रमांक 867/17 धारा 279, 337, 338 भा0दं0वि0 पर दर्ज की गई तथा पुलिस द्वारा अनावेदक के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

04– दुर्घटना के पूर्व आवेदिका हष्ट–पुष्ट होकर पूर्ण रूप से स्वस्थ्य होकर मजदूरी करती थी और अपनी सेवाऐ परिवार को प्रदान करती थी। आवेदिका मजदूरी के अलावा घर के तमाम कार्य परिवार के लिए खाना बनाती थी, झाडू पोछा, कपड़े, बर्तन आदि धोती थी। परन्तु दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाने से उसके हाथ की हड्डी फ्रेक्चर हो जाने से आवेदिका अपने कार्य पूर्व की भांति करने में पूर्णतः असमर्थ हो गई है। आवेदिका अब कोई कार्य नही कर पा रही है और अपने दिनचर्या का काम भी नही कर पा रही है। दुर्घटना के कारण आवेदिका की मानसिक एवं शारीरिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण आवेदिका को भविष्य में

शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक परेशानियों का सामना पड़ेगा। आवेदिका मजदूरी करके अपने परिवार का पालन–पोषण करती थी, किन्तु उक्त चोटों के कारण तथा हाथ में फ्रेक्चर होने के कारण पूर्ण रूप से मजदूरी करने व अन्य कार्य करने में असमर्थ हो गई है। अतः आवेदिका को अनावेदक से निम्न क्षतिधन राशि दिलाई जावे :–

कमांक	**मद**	**राशि**
1	दुर्घटना में आई चोटों के लिए	4,00,000/–
2	शारीरिक पीड़ा, मानसिक क्लेश के लिए	20,000/–
3	ईलाज, दवाईयों, विशेष आहार पर हुए व्यय के लिए	1,50,000/–
4	आवागमन व सहायकपर हुए व्यय के लिए	10,000/–
5	भविष्य के उपचार व्यय के लिए	1,00,000
6	भविष्य में प्रगति कर अधिक आमदनी से वंचित होने के लिए	2,00,000/–
7	दुर्घटना में घायल होने से अपने कार्य पर न पहुॅचने से हुई आर्थिक क्षति के लिए	1,00,000/–
	कुल चाही गई प्रतिकर राशि	**9,80,000/–**

यह प्रतिलिपि सामान्य जानकारी हेतु उपलब्ध है, इसका विधिक/आधिकारिक उपयोग अनुज्ञेय नहीं है।

05– अनावेदक द्वारा जबाव प्रस्तुत कर आवेदन में वर्णित सभी अभिवचनों को अस्वीकार करते हुए खण्डन स्वरूप यह अभिवचन किये गये है कि, दिनांक 27/09/17 को समय 3:30 बजे कोई दुर्घटना घटित नही हुई है, आवेदिका ने अकारण लोगों के बहकावे में आकर अनावेदक से रूपए ऐठने की गरज से क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया है। कथित दिनांक को अनावेदक द्वारा उक्त ट्रेक्टर कमांक एमपी–37–ए–8408 से किसी प्रकार की कोई दुर्घटना आवेदिका के साथ नही की गई है इसलिए अनावेदक उक्त दुर्घटना के लिए किसी प्रकार से दायित्वाधीन नहीं है। आवेदिका कोई चोटे नही आई है तथा वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है और सभी प्रकार के कार्य सामान्य रूप से करती आ रही है। आवेदिका द्वारा पुलिस से मिलकर प्रकरण पंजीबद्ध कराकर असत्य दस्तावेज पेश किए गए है। आवेदिका, अनावेदक से कोई सहायता पाने की पात्र व अधिकारी नही है। अतः आवेदिका का आवेदन सव्यय निरस्त

किये जाने का निवेदन किया गया है।

06— उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद प्रश्नों की रचना की गई है, जिनके निष्कर्ष उभयपक्षों की साक्ष्य के आधार पर उनके समक्ष अंकित किये जा रहे हैं :—

कमांक	**वाद प्रश्न**	**निष्कर्ष**
1	क्या अनावेदक ने दिनांक 27/09/17 को दिन के लगभग 3:30 बजे अपने खेत हुसैनपुर खेड़ी आष्टा में अपने स्वत्व और आधिपत्य का वाहन आयशर ट्रेक्टर कमांक एमपी—37—ए—8408 को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए आवेदिका को टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की ?	''प्रमाणित नही''
2	क्या उक्त दुर्घटना में आवेदिका को आई चोट से उसे स्थाई अपंगता कारित हुई ?	''प्रमाणित नही''
3	क्या आवेदिका, अनावेदक क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने की अधिकारी है, यदि हॉ तो कितनी ?	''नही''
4	सहायता एवं व्यय ?	अधिनिर्णय की कंडिका—14 के अनुसार आवेदन निरस्त।

यह प्रतिलिपि सामान्य जानकारी हेतु उपलब्ध है, इसका विधिक/न्यायिक उपयोग अनुज्ञेय नहीं है।

निष्कर्ष एवं उसके आधार

07— आवेदिका की ओर से स्वयं (आ.सा—1) के अतिरिक्त, अपनी पुत्री शिप्राबाई (आ.सा—2) के शपथ अंतर्गत आदेश 18 नियम 4 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किये गये है तथा प्रदर्श पी—1 लगायत प्रदर्श पी—14 तक के दस्तावेज पेश किये गये है। अनावेदक की ओर से स्वयं (अना.सा—1) के अतिरिक्त छोटू मालवीय (अना.सा—2), अजेश मेवाड़ा (अना.सा—3), भूरी बाई (अना.सा—4) के शपथ अंतर्गत

आदेश 18 नियम 4 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किये गये है।

<u>वादप्रश्न कमांक–1 लगायत 3 का निराकरण</u> :–

08– आवेदिका शैतान बाई (आ.सा–1) की मुख्य परीक्षा में यह अभिकथन हैं कि दुर्घटना दिनांक 27/09/17 को दिन के लगभग 3:30 बजे वह अनावेदक जितेन्द्र के पिता नानूराम सरपंच के यहॉ ग्राम हुसेनपुर खेड़ी उनके खेत में सोयाबीन काट रही थी और उसके साथ उसकी पुत्री शिप्राबाई व अन्य मजदूर भी सोयाबीन काटने गए थे। अनावेदक जितेन्द्र ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका–9 में स्वीकार किया है कि दुर्घटना दिनांक को वह अपने गांव हुसेनखेड़ी आवेदिका और इंदिरा कालोनी के अन्य मजदूरो को अपना सोयाबीन कटवाने ट्रेक्टर से ले गया था, जहॉ आवेदिका और अन्य मजदूरों ने दिनभर उसका सोयाबीन काटा था, जिसकी पुष्टि अनावेदक साक्षी छोटू मालवीय, अजय मेवाड़ा एवं भूरी बाई ने भी की है। अतः यह प्रमाणित है कि दुर्घटना दिनांक को आवेदिका शैतान बाई अनावेदक के खेत पर मजदूरी का कार्य करने गई थी।

09– आवेदिका शैतान बाई की साक्ष्य अनुसार उक्त दिनांक को सोयाबीन काटते समय अनावेदक जितेन्द्र यादव अपना आयशर ट्रेक्टर कमांक एमपी–37–ए–8408 को तेजी व लापरवाही और उपेक्षापूर्ण ढंग से चलाता हुआ खेत में लाया और उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गिर गई और उसे उल्टे हाथ की कलाई के पास चोट आई तथा शरीर में अंदरूनी चोटें आई, जिसकी पुष्टि आवेदिका की पुत्री शिप्रा बाई ने भी की है। परन्तु अनावेदक जितेन्द्र (अना.सा–1) एवं अनावेदक साक्षी छोटू मालवीय (अना.सा–2), अजेश मेवाड़ा (अना.सा–3) और भूरी बाई (अना. सा–5) ने उक्त दिनांक को अनावेदक द्वारा आवेदिका को ट्रेक्टर तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर टक्कर मारने से इनकार किया है तथा बताया है कि वे सब लोग शाम को सोयाबीन काटकर साथ–साथ घर वापस आए थे।

10– अतः आवेदिका एवं अनावेदक में से किसकी साक्ष्य अधिक विश्वसनीय है इस संबंध में उनकी साक्ष्य का मूल्यांकन करना आवश्यक है।

यह प्रतिलिपि सामान्य जानकारी हेतु उपलब्ध है, इसका विधिक/न्यायिक उपयोग अनुज्ञेय नहीं है।

11— आवेदिका शैतान बाई (आ.सा—1) ने साक्ष्य के दौरान बताया हैं कि दुघ र्टिना के बाद दुर्घटनास्थल से घायल अवस्था में उसे उसकी पुत्री शिप्राबाई सरकारी अस्पताल आष्टा ईलाज कराने ले गई, जहॉ उसे भर्ती कर लिया गया था। वह लगभग 10—11 दिन तक अस्पताल में भर्ती रही, उसके एक्सरे किए गए थे, जिसमें उसके उल्टे हाथ की कलाई की हड्डी में फ्रेक्चर होना पाया गया था। इसी आशय के कथन शिप्रा बाई (आ.सा—2) ने भी किए है। आवेदिका की ओर से अपने उक्त कथनों के समर्थन में मुलाहिजा रिपोर्ट प्रदर्श पी—3, ईलाज का पर्चा प्रदर्श पी—4, एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी—5, ईलाज का पर्चा प्रदर्श पी—12, प्रदर्श पी—13 एवं प्रदर्श पी—14 पेश किए गए है।

11— आवेदिका शैतान बाई (आ.सा—1) एवं उसकी पुत्री शिप्रा बाई (आ.सा—2) की उक्त साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि दुर्घटना दिनांक को ही आवेदिका शैतान बाई को ईलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया था। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत चिकित्सीय दस्तावेज प्रदर्श पी—3 लगायत प्रदर्श पी—5 एवं प्रदर्श पी—12 लगायत प्रदर्श पी—14 में से कोई भी दस्तावेज दुर्घटना दिनांक का नही है। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श पी—4 का दस्तावेज दिनांक 28/09/17 का है, जिसमें आवेदिका को चोटे आने का कोई उल्लेख नही है मात्र एक्सरे की सलाह दी गई है एवं कुछ दवाईयॉ लिखी गई है। प्रदर्श पी—3 एवं प्रदर्श पी—12 के दस्तावेजों में ''आवेदिका के बताए अनुसार दिनांक 27/09/17 को करीब 3:30 बजे कार्य के दौरान ट्रेक्टर से टक्कर लगना'' लेख किया गया है। परन्तु चिकित्सक द्वारा आवेदिका को परीक्षण में चोटें पायी गयी इस बात का कोई उल्लेख नही है। उक्त दस्तावेजों से मात्र यह दर्शित होता हैं कि आवेदिका के बांयी अग्रभुजा, कलाई एवं हाथ के एक्सरे की सलाह दी गई है। हालांकि एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी—5 दिनांक 09/10/17 में आवेदिका के बांये हाथ में अस्थिभंग होने का उल्लेख है, परन्तु उक्त अस्थिभंग 12 दिन पुराना है ऐसा कोई अभिमत चिकित्सक द्वारा नही दिया गया है। आवेदिका ने दुर्घटना के बाद 10—11 दिन उसके अस्पताल में भर्ती रहने के संबंध में भी कथन किए है, परन्तु इसके समर्थन में कोई भी डिस्चार्ज टिकट व अन्य दस्तावेज पेश नही किए है।

12— जहॉ तक आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रमाणीकरण प्रदर्श पी—9 है तो हालांकि उक्त दस्तावेज में अनावेदक द्वारा ट्रेक्टर चलाते समय मजदूर शैतान बाई को टक्कर लगने एवं चोटें आने का उल्लेख है। परन्तु उक्त दस्तावेज में दुर्घटना दिनांक 27/10/17 को होना बतायी गयी है। जबकि हस्तगत मामले की दुर्घटना दिनांक 27/09/17 है। अतः उक्त दस्तावेज का भी कोई लाभ आवेदिका को प्राप्त नही होता है।

13— उपरोक्त समस्त विवेचना उपरान्त यह प्रमाणित नही होता है कि अनावेदक ने 27/09/17 को दिन के लगभग 3:30 बजे अपने खेत हुसैनपुर खेड़ी आष्टा में अपने स्वत्व और आधिपत्य का वाहन आयशर ट्रेक्टर कमांक एमपी—37—ए—8408 को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए आवेदिका को टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की तथा उक्त दुर्घटना में आवेदिका को आई चोट से उसे स्थायी अपगंता कारित हुई। अतः आवेदिका, अनावेदक से क्षतिपूर्ति पाने की अधिकारी नही है। तदानुसार वादप्रश्न कमांक 3 निराकृत किए जाते है।

<u>वादप्रश्न कमांक—4 सहायता एवं व्यय</u> :—

14— ऊपर की गई विवेचना के प्रकाश में आवेदिका की ओर से प्रस्तुत उक्त आवेदन निरस्त किया जाता है।

1— उभयपक्ष अपना—अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।

2— तदनुसार व्यय तालिका बनाई जावे।''

''तदनुसार व्यय तालिका बनाई जावे।''

अधिनिर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(सरिता वाधवानी)
सदस्य
प्रथम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
आष्टा जिला—सीहोर(म.प्र.)

(सरिता वाधवानी)
सदस्य
प्रथम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
आष्टा, जिला—सीहोर (म.प्र.)

दिनॉक—10 अप्रैल, 2019
स्थान—आष्टा, जिला सीहोर (म.प्र.)

व्यय–तालिका (क्लेम प्रकरण कमांक–01/2018)

विवरण	आवेदक	अनावेदक
1. न्याय शुल्क	30=00	–
2. वकालत नामा	10=00	10=00
3.आवेदन पत्र/शपथपत्र	25=00	39=00
4. प्रोसेस शुल्क	02=00	–
5. अधिवक्ता शुल्क	–	–
योग	**67=00**	**49=00**

यह प्रतिलिपि सामान्य जानकारी हेतु उपलब्ध है, इसका विधिक/न्यायिक उपयोग अनुज्ञेय नहीं है।

(सरिता वाधवानी)
सदस्य
प्रथम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
आष्टा जिला–सीहोर, म0प्र0।